रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265287
CG-DL-E-07082025-265287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3539] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 3539] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3626(अ).—पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम

1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 सितंबर, 2024 के का.आ. 4259(अ) के माध्यम से अधिसूचित पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम में आंशिक संशोधन करते हुए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2. दिनांक 29 सितंबर 2024 की स्कीम अधिसूचना का.आ. 4259(अ) की क्रम संख्या 5 निम्नानुसार संशोधित होगी:

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने और ईवी विनिर्माण पारितंत्र का विकास करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव स्कीम को 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2028 लागू किया जाएगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि तक कार्यान्वित की जा रही ईएमपीएस-2024 स्कीम को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3. दिनांक 29 सितंबर 2024 की स्कीम अधिसूचना का.आ.4259(अ) की क्रम संख्या 46 निम्नानुसार संशोधित होगी:

यह एक निधि सीमित स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत कुल भुगतान ₹10,900 करोड़ के स्कीम परिव्यय तक सीमित होगा। यदि स्कीम या इसके संबंधित उप-घटकों के लिए धनराशि स्कीम की अंतिम तिथि अर्थात 31 मार्च 2028 से पहले समाप्त हो जाती है, तो स्कीम या इसके संबंधित उप-घटक तदनुसार बंद कर दिए जाएंगे, अर्थात आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, पंजीकृत ई-दुपहिया, पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट और पंजीकृत ई-तिपहिया (एल5) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 होगी।

[फा. सं. 01(01)2024-एइआई (भाग-I)(29743)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

S.O. 3626(E).— PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O. 4259(E) dated 29th September, 2024, the following amendments are made with effect from publication in the official gazette:

2. Para 5 of the Scheme notification of S.O. 4259(E) dated 29th September, 2024 shall stand amended as under:

The PM E-DRIVE Scheme, with an outlay of ₹10,900 crore, shall be implemented from 1st October 2024 to 31st March 2028, for faster adoption of electric vehicles (EVs), setting up of charging infrastructure and development of EV manufacturing eco-system in the country. Further, EMPS-2024 being implemented for the period from 1st April 2024 to 30th September 2024 is subsumed under this Scheme.

3. Para 46 of the Scheme notification of S.O. 4259(E) dated 29th September 2024 shall stand amended as under:

This is a fund limited Scheme. Total payout under the Scheme shall be limited to the scheme outlay of ₹10,900 crore. In case the funds for the Scheme or its relevant sub-components are exhausted prior to the terminal date of the Scheme i.e. 31st March 2028, then the Scheme or its relevant subcomponents will be closed accordingly i.e. no further claims will be entertained. However, the terminal date for registered e-2W, registered e-rickshaws & e-cart and registered e-3W (L5) shall be 31st March 2026.

[F. No. 01(01)2024-AEI (Part-I) (29743)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA